25वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2019-2020

गुरूर्गुरूतमो धाम
NCTE

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक संविधिक निकाय)

प्लाट संख्या जी-7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

अनुक्रमणिका

क्र.सं.		पृष्ठ सं.
1.	राअशिपः एक परिचय	1-2
2.	प्रमुख विकास कार्य तथा उपलब्धियां (1) राअशिप अधिदेश और कार्यक्रम (क) राअशिप अधिनियम (ख) कार्य (ग) क्षेत्रीय समितियांः क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (घ) राअशिप द्वारा रजत जयन्ती वर्ष का आयोजन (2) अनुभागानुसार विवरण (क) शैक्षणिक अनुभाग (ख) अपील अनुभाग (ग) निरीक्षण अनुभाग (घ) आईटी एवं ई–शासन (ईडीपी) अनुभाग (i) नए और क्रियाशील बेब पोर्टल की डिजाईनिंग (ii) समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) (iii) भ्रमणशील दल माड्यूल (iv) ऑनलाइन अपील माड्यूल (राअशिप अधिनियम 1993 के खंड 18 के अधीन) (v) छात्र–अध्यापक पंजीकरण (ड.) स्थापना अनुभाग (i) स्वच्छता पखवाड़ा (ii) राअशिप की क्षेत्रीय समितियों का नई दिल्ली में स्थानांतरण (च) सतर्कता अनुभाग (छ) विनियम अनुभाग (ज) समन्वय अनुभाग	3-15
3.	राअशिप द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों (क्षेत्र एवं राज्यवार) की स्थिति सभी (क्षेत्र तथा राज्यवार) 1. मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अखिल भारतीय स्थिति 2. पूर्वी क्षेत्र में मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की स्थिति 3. पश्चिमी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की स्थिति 4. उत्तरी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की स्थिति 5. दक्षिणी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की स्थिति	16 17 18-30 31-39 40-47 48-56

प्रयुक्त संकेताक्षर

1.	एएससी	शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालय
2.	बी.एड.	शिक्षा स्नातक
3.	बी.एल.एड.	स्नातक प्रारंभिक शिक्षा
4.	बी.पी.एड.	शारीरिक शिक्षा स्नातक
5.	सीबीएसई	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
6.	सीटीईटी	केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा
7.	डी.एल.एड.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा
8.	एफएक्यू	बार–बार पूछे गये प्रश्न
9.	आईआईसी	समेकित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम
10.	आईसीटी	सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
11.	इग्नू	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
12.	आईआईटीई	भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्थान
13.	जेवीसी	न्यायाधीश वर्मा आयोग
14.	एम.एड.	शिक्षा स्नातकोत्तर
15.	एम.पी.एड.	शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर
16.	एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
17.	एनसीएफटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या संरचना
18.	एनयूईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
19.	ओडीएल	मुक्त दूरस्थ शिक्षण
20.	आरटीई	शिक्षा का अधिकार
21.	आरटीआई	सूचना का अधिकार
22.	एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद
23.	एसटीआरआईडीई	दूरस्थ शिक्षा कर्मचारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान
24.	टीईआई	अध्यापक शिक्षा संस्थान
25.	टीईटी	अध्यापक पात्रता परीक्षा

अध्याय 1

राअशिप: एक परिचय

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में संसद के अधिनियम (अधिनियम सं. 1993 का 73) द्वारा हुई थी तथा 17 अगस्त 1995 को अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका अधिदेश देशभर में अध्यापक शिक्षा का नियोजित और समन्वित विकास प्राप्त करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मानदंडों एवं तत्सम्बन्धी मामलों के विनियमन व उपयुक्त संरक्षण करना है। इस परिषद में प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के अलावा शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के शिक्षा सचिव, सांसद, एनसीईआरटी, एनआईईपीए, यूजीसी जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों के अतिरिक्त तीन पूर्णकालिक सदस्य अर्थात अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव शामिल हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इनमें कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं तथा इस प्रकार वे राअशिप अधिनियम, नियमों और इनके अन्तर्गत बने विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तथा समय–समय पर नीतिगत निर्णयों को लेने व उन्हें कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है।

राअशिप अधिनियम 1993 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में चार क्षेत्रीय समितियां बनाई गयी हैं, जो अध्यापक शिक्षा से संबंधित कार्यों को देखती हैं। वर्तमान में इन क्षेत्रीय समितियों के कार्यालय प्लाट जी–7, द्वारका, सैक्टर–10, नई दिल्ली में स्थित है सिवाय पूर्वी क्षेत्रीय समिति, जिसका स्थानांतरण नई दिल्ली में किया जाना बाकी है। प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में एक अध्यक्ष, कुछ प्रतिष्ठित शिक्षाविद और प्रशासक सम्मिलित हैं, जिनमें उस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों, शिक्षा विभागों के शिक्षा सचिव भी होते हैं। क्षेत्रीय निदेशक राअशिप का पूर्णकालिक अधिकारी होता है, जो क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है तथा क्षेत्रीय समिति का संयोजक भी वही होता है। क्षेत्रीय समितियों को राअशिप अधिनियम के अनुच्छेद 14, 15 और 17 को कार्यान्वित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त बनाया गया है, जो अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए समय–समय पर निर्धारित विनियमों, मानकों और मापदंडों के अनुसार कार्य कर करती हैं। ये क्षेत्रीय समितियां नए शिक्षण संस्थानों के लिए आवेदनों को प्राप्त करती हैं और इन पर कार्यवाही करती हैं तथा राअशिप अधिनियम के क्रमशः अनुच्छेद 14 और 15 के तहत मान्यता देने के अतिरिक्त मौजूदा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कार्यक्रमों/छात्रों के प्रवेश क्षमता के लिए आवेदनों को भी लेती हैं। क्षेत्रीय समितियों के पास राअशिप के अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था की मान्यता समाप्त करने का अधिकार भी होता है, बशर्ते कि यह प्रमाणित हो जाए कि संबंधित शिक्षण संस्था ने राअशिप अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है जिनके अन्तर्गत मान्यता/अनुमति प्रदान की गई थी।

एनसीटीई मुख्यालय में कार्य वितरण विभिन्न अनुभागों में किया गया है: शैक्षणिक अनुभाग में शैक्षणिक मामलों को देखा जाता है, जिसमें अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, शिक्षा के प्रमुख पहलुओं पर, पत्र–पत्रिकाओं, पुस्तकों और प्रबंधों का प्रकाशन, व्याख्यान आदि आयोजित करना शामिल है। विनियम अनुभाग कार्यान्वित किए जा रहे विनियमों की कार्यान्वयन संबंधी प्रतिक्रिया इकट्ठी करता है और उनकी जांच करता है तथा जब भी आवश्यकता होती है, नए विनियमों के विकास कार्य को समन्वित करने का काम भी करता है और आवश्यकतानुसार नए विनियम बनाने को समन्वित करता है। निरीक्षण अनुभाग राअशिप अधिनियम के खण्ड 13 के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण कराता है। क्षेत्रीय समितियों के किसी निर्णय से असंतुष्ट संस्थान राअशिप अधिनियम 1993 के खण्ड 18 के अधीन अपील दायर कर सकता है। अपील अनुभाग परिषद द्वारा गठित अपील प्राधिकरण के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अपीलों की जांच करने के बाद अपील समिति संबंधी मामले में जो कार्रवाई उपयुक्त समझती है, उसकी संस्तुति करती है। विधि अनुभाग राअशिप के विरूद्ध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर किए गए मामलों को देखता है और राअशिप के न्यायिक सलाहकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है। ईडीपी अनुभाग राअशिप की वेबसाइट की देखरेख करता है और सार्वजनिक क्षेत्र में आवेदन पत्रों को प्रक्रियागत करने की राअशिप मुख्यालय की प्रणाली का क्षेत्रीय समितियों के साथ आ. नलाइन संयोजन सुविधापूर्ण बनाता है। समन्वय अनुभाग विभिन्न पक्षों की बाबत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित तथा वहां से प्राप्त पत्रों पर उचित कार्रवाई, वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी, क्षेत्रीय समितियों की स्थापना, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों के उत्तर देने संसद के प्रश्नों के उत्तर तथा विनियमों और अन्य संविधियां को अधिसूचित करने के लिए सरकारी मुद्रणालय के साथ तालमेल स्थापित करता है।

★★★★★

अध्याय 2

प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां

राअशिप अपने अधिदेश को कार्यान्वित करने के लिए हर वर्ष अनेक कार्यकलाप निष्पादित करती है। कुछ कार्यकलाप ऐसे होते हैं जिनकी पहल पूर्व वर्षों के दौरान हुई थी तथापि वह निरंतर चलते रहते हैं और परवर्ती वर्षों में पूरे किए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, जो क्षेत्र में उभरते हुए तथ्यों और प्राथमिकताओं की दृष्टि से आवश्यकताओं के संदर्भ में सम्पन्न किए जाते हैं। इस अध्याय में परिषद द्वारा 2019–20 के दौरान अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यकलापों और कार्यक्रमों का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है।

(1) राअशिप अधिदेश तथा कार्यक्रम

(क) राअशिप अधिनियम

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (राअशिप) एक सांविधिक निकाय की स्थापना देशभर में अध्यापक शिक्षा के नियोजित व समन्वित उन्नति करने तथा अध्यापक शिक्षा प्रणाली तथा इससे संबंधित मामलों में मानदंड व मानक विनियमित करने और क्रियान्वित करने के विस्तृत अधिदेश के साथ संसद के अधिनियम (1993 के संख्या 73) के तहत हुई थी तथा इसने 17 अगस्त, 1995 को कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा इसकी चार क्षेत्रीय समितियां हैं, जिनमें तीन क्षेत्रीय समितियां पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी समिति, दिल्ली में तथा पूर्वी क्षेत्रीय समिति भुवनेश्वर में स्थित हैं।

(ख) कार्य

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न करने का अधिदेश प्राप्त है:

- देश में अध्यापक शिक्षा को समन्वित करना तथा इसका अनुश्रवण व विकास करना।
- अध्यापक शिक्षा में किसी विशिष्ट श्रेणी वाले पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण के लिए मानक निर्धारित करना, जिसमें छात्रों के प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता के मापदंड तथा अभ्यर्थी के चयन की पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या की विधि का निर्धारण भी शामिल है।
- मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं द्वारा नए पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण शुरू करने के मामलों में उनके अनुपालन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना तथा उनके लिये भौतिक व अनुदेशात्मक सुविधाएं निर्धारित करना, स्टाफ व्यवस्था एवं स्टाफ की योग्यताएं निर्धारित करना।

- अध्यापक शिक्षा योग्यता से संबंधित परीक्षाओं के बारे में मानक निर्धारित करना, ऐसी परीक्षाओं तथा पाठ्यक्रम योजनाओं या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रविष्ट होने के लिए मापदंड निर्धारित करना।
- मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- परिषद द्वारा निर्धारित मानकों, दिशानिर्देशों और मानदंडों के कार्यान्वयन संबंधी समय–समय पर परीक्षण और समीक्षा करना तथा मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं को उचित सलाह देना।
- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाएं और कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के लिए संस्तुतियां करना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए योजनाओं का प्रवर्तन करना तथा अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं की पहचान करना और नयी संस्थाओं को स्थापित करना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वेक्षण और अध्ययन करना एवं उनके परिणामों को प्रकाशित कराना।
- अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए हर संभव उपाय करना।
- मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं को उनके उत्तरदायित्व को समझाने के लिए उपयुक्त कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, मानक और तंत्र विकसित करना।
- विद्यालयों या मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं में किसी व्यक्ति को अध्यापक के पद पर चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के बारे में दिशानिर्देश निर्धारित करना।
- अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवोन्वेष और अनुसंधान को बढ़ावा देना, सम्पन्न करना एवं उनके परिणामों को प्रसारित करना।
- केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

(ग) क्षेत्रीय समितियां: प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र

किसी अध्यापक शिक्षा संस्था को स्थापित करने अथवा किसी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की इन चार क्षेत्रीय समितियों को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिनके द्वारा मान्यता के लिए इनका मूल्यांकन किया जाता है। इन क्षेत्रीय समितियों के अन्तर्गत उनके अधिकारक्षेत्र में निम्नलिखित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं:–

- **पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वरः** अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओड़िशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। (एन=12)

- **पश्चिमी क्षेत्रीय समितिः-** गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली, दमन और द्वीव, छत्तीसगढ़, राजस्थान। (एन=8)

- **उत्तरी क्षेत्रीय समितिः-** हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर तथा लद्दाख। (एन=8)

- **दक्षिणी क्षेत्रीय समितिः-** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, लक्षद्वीप, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोंडिचेरी और तेलंगाना (एन=8)

(घ) राअशिप द्वारा रजत जयन्ती वर्ष का आयोजन

अध्यापक शिक्षा की यात्राः 'स्वदेश से विश्व स्तर तक' सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) की स्थापना संसद के एक अधिनियम (1993 की अधिनियम संख्या 73) के अधीन एक संविधिक निकाय के रूप में हुई थी और इसने 17 अगस्त 1995 से काम करना शुरू किया। इस वर्ष अर्थात् 2019 के अगस्त महीने के साथ इस संस्थान की स्थापना के 25वें वर्ष की शुरूआत हुई है।

अपने रजत जयन्ती समारोह के मौके पर परिषद् यह दोहराना चाहती है कि अध्यापक शिक्षा तंत्र जिस पर भावी पीढ़ियों को विकसित और शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार अध्यापक तैयार करने का दायित्व है, वह देश का मूलाधार है। परिषद् भारत में मौजूदा अध्यापक शिक्षा तंत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों, मुद्दों, चुनौतियों, समाधानों और संभावनाओं पर चर्चा करने के निमित्त विख्यात शिक्षाविदों, विचारकों, व्यावसायिकों और प्रशासकों हेतु एक मंच उपलब्ध कराने की इच्छुक है।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राअशिप के योगदान अन्य देशों के साथ भारतीय अनुभवों को साझा करने के साथ–साथ अन्यत्र उपलब्ध उत्तम परिपाटियों को आत्मसात करने के निमित्त हम भारत की सीमाओं से परे देखना कैसे शुरू कर सकते हैं पर विचार करने के निमित्त इस विचार–विमर्श की शुरूआत 'अध्यापक शिक्षा की यात्राः स्वदेश से विश्वस्तर तक' विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ होगी।

सम्मेलन भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियों को उजागर करने और अनका गुणगान करने के साथ–साथ अध्यापक शिक्षा में उत्तम वैश्विक परिपाटियों का प्रचार सुविधापूर्ण बनाएगा। ये विचार–विमर्श उस दर्शन में योगदान देगा जिसके निमित्त राअशिप और देश में अध्यापक शिक्षकों को, जिसकी अगले 25 वर्षों तक आकांक्षा

करनी है। इस की पूर्ति के लिए सम्मेलन के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

- अध्यापक शिक्षा के मौजूदा परिदृश्य, चुनौतियों, नीति, केन्द्रबिन्दु, प्रक्रियाओं और पक्षों की जांच करना।
- स्कूलों और अध्यापक शिक्षा संस्थानों में पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन में नवाचारों को साझा करना।
- अध्यापन, अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की जांच करना।
- बालक–बालिका, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के छात्रों और विकलांग छात्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपने देश में समावेशन की स्थिति की जांच करना।
- अध्यापक शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की संभावनाओं की जांच करना।

यद्यपि विषय–क्षेत्र व्यापक है तथापि हमारा प्रयास भारत में अध्यापक शिक्षा के व्यवहार और प्रक्रियाओं में भारत में स्कूली तंत्र के परिदृश्य की टोह लेने पर रहेगा। सम्मेलन पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र आईसीटी को सार्थक रूप से प्रवर्तित करने, समेकित करने तथा सभी बच्चों को वैश्विक और निरन्तर बदलते विश्व के लिए तैयार करने के साथ–साथ उन्हें शिक्षण में शामिल करने के तरीकों की और ध्यान देगा। विचार–विमर्श को मार्गदर्शित करने के निमित्त सम्मेलन के वास्ते निम्न विषय –क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं :

- भारत में अध्यापक शिक्षा : मौजूदा परिदृश्य
- शिक्षण परिपाटियों में नवाचार : पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन
- अध्यापक, अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन
- समावेशी शिक्षा : एक वास्तविक जांच (बालक बालिका, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और विकलांग)
- अध्यापक–शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

सम्मेलन के उद्देश्यों और कार्रवाइयों में सुयोजन सुनिश्चित करने के लिए, विषय–क्षेत्रों का वर्णन निम्नानुसार है:

सम्मेलन के विषय-क्षेत्रों के लिए संदर्भ

हमारी नीति और तत्सम्बन्धी कागजात में शैक्षिक प्रक्रियाओं में अक्सर अध्यापकों को केन्द्रीय महत्त्व प्रदान किया गया है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि 'कोई भी देश अध्यापकों से बढ़कर नहीं हो सकता' जबकि कोठारी आयोग ने आग्रहपूर्वक कहा था कि 'भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में तैयार हो रहा

है।' मूलतः समूचे विश्व में समदृष्टि, पहुंच और गुणवत्ता और विविधता को देखते हुए हमारे लिए ये चुनौती बने हुए हैं।

इन चिन्ताओं की ओर ध्यान देने के प्रयास के रूप में पूर्व में सीमान्त समूहों के बच्चों को शामिल करने, सभी आयु–स्तरों पर अधिगम पर विचार करने आदि को लेकर शैक्षिक प्रावधान बदले हैं। यह स्पष्ट है कि मार्गदर्शी तंत्र हमारा संविधान रहा है–इसलिए हमें ऐसी कक्षाओं की ज़रूरत है जो ऐसे नागरिक विकसित करने में योगदान दे सकें जिनमें नैतिकता और समदृष्टि के लिए प्रतिबद्धता सहित लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़े रहने की क्षमता हो।

इसलिए हमें अपने अध्यापक भी इन कक्षाओं में तैयार करने हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सेवा–पूर्व शिक्षा से विलग हो जाने के बाद भी अधिगम की प्रक्रिया जारी रहती हैं। अध्यापक, कक्षा और स्कूल प्रणाली के बीच पारस्परिक क्रियाओं के दौरान अध्यापक के ज्ञान और धारणाओं की परख बराबर होती रहती है, यहां तक कि उसे चुनौती भी दी जाती है और परिष्कृत भी किया जाता है।

हमें आज ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है जो अपनी व्यावसायिक क्षमताओं के उन्नयन के निमित्त स्वयं अपने अनुभवों पर दृष्टि डालने में सक्षम हो। इस परिदृश्य के सन्दर्भ में इन विषयक्षेत्रों के साथ जो चिन्ताएं और प्रश्न जुड़े हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

भारत में अध्यापक शिक्षा : मौजूदा परिदृश्य

भविष्य को लेकर कोई भी प्रयास करते समय जो कुछ हो चुका है, उस पर विचार करना ज़रूरी है। हमारे देश में अध्यापक शिक्षा का एक दीर्घ और वैविधयपूर्ण इतिहास रहा है। हाल में विचारार्थ विषय 'अध्यापक शिक्षा' से हटकर शिक्षा और विकास की ओर हो गया है ताकि व्यावसायिक तैयार किए जा सकें। एक समर्थनकारी तंत्र के भीतर इन अध्यापकों के पास अपने छात्रों के अधिगम की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता के साथ–साथ उन्हें स्वयं इस प्रक्रिया में विचारशील छात्र बनना होगा। ऐसा विभिन्न विषय–क्षेत्रों के बीच गहराई और विस्तार सहित–व्यापक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से संभव हो सकेगा।

इसके साथ–साथ हमारी अध्यापक शिक्षा प्रणाली अत्यन्त जटिल है जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच अनियमित रूप से मौजूद बहुविध कार्यक्रम हैं। हमारे यहां अध्यापक समर्थन के लिए एक विस्तृत संरचना मौजूद है जो स्कूलों से लेकर राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के बीच फैली है।

इन कार्यक्रमों और संरचनाओं के बीच सुसंगत और व्यवस्थागत सुधार लाने के उद्देश्य से केवल मौजूदा परिदृश्य पर ही दृष्टि डालना और इस बात पर विचार करना ही ज़रूरी नहीं है कि आगे बढ़ने की दृष्टि से इसे इष्टतम कैसे बनाया जा सकता है।

पाठ्चर्या का संचालन अकेले अध्यापक या अध्यापक शिक्षक की क्षमता का ही काम नहीं है। 'अध्यापक अधिगम' किसी शून्य में नहीं होता बल्कि एक अत्यन्त प्रभावशाली पारिस्थितिक तंत्र में होता है। छात्र जो ज्ञान और अधिगम अर्जित करते हैं वे छात्र एजेंसी, अभिप्रेरण, गृहभाषा, आवश्यकताएं, आयु, लैंगिक स्थिति और समाजार्थिक स्थिति जैसे छात्र से जुड़े तत्त्वों के माध्यम से भी होते हैं। इसलिए शिक्षाशास्त्रीय परिपाटियों, सभी छात्रों के अधिगम को समर्थित करने वाले संदर्भ और परिस्थितियों की जांच करना भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा इस बात की जांच करना भी जरूरी है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम और स्कूली पाठ्यचर्या समर्थनकारी शिक्षाशास्त्र किन तरीकों से प्रभावी हो सकता है।

स्कूल की पाठ्यचर्या, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हैं। कई दशकों से पाठ्यचर्यात्मक सुधार 'अध्यापक केन्द्रित' शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोणों से हट कर 'छात्र' 'प्रशिक्षु' अथवा 'बालकेन्द्रित' अथवा 'सक्रिय' अधिगम दृष्टिकोणों की तरफ प्रवृत्त हो गए हैं। पाठ्यचर्या का संचालन ऐसे ढंग से करना जिससे अपेक्षित अधिगम की प्राप्ति हो सके– प्रत्येक शिक्षक का उद्देश्य होता है। अध्यापक को अपने छात्रों के बीच पाठ्यचर्या का संचालन सार्थक रूप में ऐसे ढंग से करना चाहिए कि छात्र उसमें प्रवृत्त हो सकें और अधिगम आगे बढ़े। लेकिन सफलतापूर्वक ऐसा करने के लिए कोई एक 'सूत्र' या दृष्टिकोण मौजूद नहीं है। इस तरह की सफलताएं एकल कक्षा या किसी जिला अथवा राज्य के स्तर पर हो सकती हैं। जो भी हो, इस तरह के नवाचार साझा किए जाने चाहिए ताकि अन्य लोग भी अपने शैक्षिक प्रयासों में अधिक सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी आजमाइश कर सकें।

अध्यापन, अधिगम, मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का समेकन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां (आईसीटी), ऐसे ढंग से उन्नत हुई हैं कि यहां तक कि एक दशक पहले भी उनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। इन्होंने हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। तथापि अध्यापन–अधिगम में आईसीटी का समेकन संतोषपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किए जाने की ज़रूरत है।

इस संबंध में उठने वाले प्रश्न हैं– क्या हमारे अध्यापक और अध्यापक–शिक्षक आईसीटी के समेकन के लिए पूरी तरह सुसज्जित अथवा प्रशिक्षित हैं ? क्या हमारे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, अध्यापकों को अध्यापन–अधिगम में आईसीटी का प्रयोग करने के लिए समुचित रूप से तैयार करते हैं? क्या हम दाखिले, अध्यापन–अधिगम, मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा की समूची प्रक्रिया का अंकरूपण (डिजिटैलाइज) कर पाए हैं? क्या हम अपने छात्रों को लैपटाप और कम्प्यूटरों के साथ पढ़ा रहे हैं, क्या हम उनके साथ जानकारी अंकीय (डिजिटली) रूप से साझा कर रहे हैं? क्या हम उन्हें दैनिक कार्य दे रहे हैं और उनसे अंकीय रूप से प्राप्त कर रहे हैं? क्या वे और उनके माता–पिता उनका दैनिक निष्पादन अंकीय रूप से आनलाइन देख पाते हैं? और इससे भी बहुत अधिक। लेकिन इस सबके संभव होने से पहले हमारे लिए अध्यापन, अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी के समेकन के स्तरों की जांच करना ज़रूरी है।

समावेशी शिक्षा - एक वास्तविक जांच (बालक-बालिका, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विकलांग)

हमारे देश के सामाजिक समूहों और बालक–बालिका की विविधता, योग्यताए, प्रवास, विषमताएं तथा स्तरीकृत शैक्षिक प्रावधानों की विशिष्टताएं अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पुर्नकल्पना की मांग करती हैं। सल्मानका समावेशन को 'सभी के लिए स्कूलों' ऐसे संस्थानों की दिशा में कार्य करने की जरूरत स्वीकार करने के रूप में परिभाषित करता है, जो सभी को शामिल करते हैं, मतभेदों का अनुष्ठान करते हैं, अधिगम का समर्थन करते हैं और वैयक्तिक जरूरतों की ओर ध्यान देते हैं। क्या हम इस तरह के स्कूल तैयार कर सके हैं? क्या हम वंचित तथा सुविधाहीन बच्चों और विकलांग बच्चों को एक ही कक्षा में बैठे देख पाते हैं? क्या हम ऐसे अध्यापक तैयार करने में सफल हो पाए हैं जो इन मतभेदों का अनुष्ठान कर सकते हैं? हम लैंगिक पूर्वग्रह पर कैसे विजय पा सकते हैं जो हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में अभी भी मौजूद है, यहां तक कि जहां बालिका, बालकों के साथ एक ही कक्षा में नहीं बैठ सकती।

अध्यापकों ने कक्षा में मौजूद विविध छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र का अनुसरण करने की क्षमता अभी तक विकसित नहीं की है। अलग–अलग छात्रों की ज़रूरतों का पता लगाने का विवेक और इन ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता अध्यापक के व्यवहार का केन्द्रबिन्दु होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए संस्थानगत सहयोग, हितधारकों को सुग्राही बनाना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितनी अध्यापक शिक्षा।

अध्यापक शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

प्रौद्योगीकी में बदलावों ने संचार और वाणिज्य में नाटकीय बदलाव लाना सुविधापूर्ण बना दिया है जिस कारण सीमाओं को पार करना, पहुंच को बढ़ावा देना तथा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव लाना अधिक आसान बन गया है। ये बदलाव लोगों को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि आज के छात्र तेजी से वैश्वीकृत संदर्भ में जिम्मेदारी और प्रभावी रूप से प्रवृत्त होने के निमित्त ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति अर्जित करें।

हमारे परिदृश्य में अन्तर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होगा ? इसके प्रभाव क्या होंगे ? क्या वैश्विक रूप से सक्षम अध्यापक तैयार करने के लिए हमारे कार्यक्रमों में भारी बदलाव लाए जाने होंगे या मौजूदा पद्धति समुचित रहेगी ? क्या अन्तर्राष्ट्रीयकरण केवल सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से ही जुडा होगा या उसमें सेवाकालीन कार्यक्रम भी शामिल रहेगा ? अतः भारत में अध्यापक शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की संभवनाओं और पक्षों की जांच किए जाने की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

यह सम्मेलन ऊपर वर्णित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर, जो कि मौजूदा परिदृश्य में अध्यापक के व्यवहार के लिए केन्द्रीय महत्त्व के हैं, विचार करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना चाहता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारी यह पहल अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता के बारे में सभी हितधारकों को सूचित करेगी और तत्काल बताएगी जिसके फलस्वरूप ऐसे बदलाव के निमित्त एक अनुकूल वातावरण तैयार हो पाएगा।

(2) विभिन्न अनुभागों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के विवरण

(क) शैक्षणिक अनुभाग

राअशिप अधिनियम 1993 के खण्ड 12(प) में "अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके परिणामों को प्रसारित करना" का उल्लेख है। इस प्रयोजन के लिए राअशिप द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने नवाचारी पाठ्यक्रमों के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए 2007 से देश के भीतर कुल मिलाकर 47 संस्थानों की सिफारिश की है।

स्थायी समिति द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के लिए अनुशंसित नवाचारी पाठ्यक्रम के अध्ययन से ऐसा पता चलता है कि नवाचारी प्रस्तावों के अधीन कार्यक्रमों पर मुख्यतः निम्न आधारों पर विचार किया गया था :–

(क) एकीकरण के अर्थों में नवाचार अर्थात एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कालेजों के नमूने पर चलाए जा रहे चार वर्षीय समेकित कार्यक्रम। इस श्रेणी में विचारार्थ 47 में से 41 मामले आते हैं।

(ख) कार्यकाल एक वर्ष से आगे बढ़ाए जाने की अवधि के अर्थ में नवाचार (जब बी.एड एक वर्ष की अवधि का था)।

(ग) स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के एकीकरण के अर्थों में नवीकरण।

(घ) प्रारंभिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसेकि बी.एल.एड. में नवाचार।

(ड.) प्रशिक्षुता की प्रकृति में बदलाव के अर्थों में नवाचार।

उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा पता चलता है कि नवाचारी पाठ्यक्रमों के नाम पर 47 प्रस्तावों में से अधिकांश कार्यक्रम राअशिप की 2014 की अधिसूचना तथा किसी/परवर्ती संशोधन के अधीन पूर्णतः मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के अधीन समाहित कर लिए गए हैं।

(ख) अपील अनुभाग

राअशिप अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि राअशिप अधिनियम की धारा 14, 15 और 17 के अन्तर्गत क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित आदेश से जो शिक्षण संस्था/व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वे इस आदेश के जारी होने के बाद, 60 दिनों के भीतर परिषद में निर्धारित शुल्क और अपील के ज्ञापन के साथ अपील कर सकते हैं। अपील के ज्ञापन के प्राप्त होने पर परिषद संबंधित समिति से ऐसे मामलों से संबंधित दस्तावेज मंगवाती है और अपील करने वाले संस्थान को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद इस प्रकार के आदेश पारित करती है जो वैधानिक रूप से उपयुक्त माना जाता है। परिषद प्रत्येक अपील को इसकी प्रस्तुति की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास करती है।

अपील समिति ने 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक 36 बैठकों में 628 अपीलों की सुनवाई की तथा 467 मामलों पर विचार करके उनका निपटारा/आदेश पारित किया।

अपील समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान जिन मामलों पर विचार किया गया उनका सारणीबद्ध विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की गई बैठकें	प्रस्तुत किए गए मामलों की संख्या	निपटाई गई अपीलें	वापस की गई अपीलें	पुष्टि की गई अपीलें	स्वीकार न की गई
1.	12वीं बैठक, 2019	24	16	05	07	04
2.	13वीं बैठक, 2019	22	21	08	10	03
3.	14वी बैठक, 2019	26	22	05	13	04
4.	15वीं बैठक, 2019	25	24	10	11	03
5.	16वीं बैठक, 2019	22	20	04	12	04
6.	17वीं बैठक, 2019	21	18	10	08	00
7.	18वीं बैठक, 2019	23	13	03	10	00
8.	19वीं बैठक, 2019	15	08	02	05	01
9.	20वीं बैठक, 2019	20	17	05	09	03
10.	21वीं बैठक, 2019	22	13	06	04	03
11.	22वीं बैठक, 2019	22	21	09	07	05
12.	23वीं बैठक, 2019	22	17	10	05	02
13.	24वीं बैठक, 2019	24	21	06	14	01
14.	25वीं बैठक, 2019	01	01	00	01	00
15.	26वीं बैठक, 2019	17	16	11	04	01
16.	27वीं बैठक, 2019	17	13	07	05	01
17.	28वीं बैठक, 2019	18	14	05	07	02
18.	29वीं बैठक, 2019	14	11	05	04	02
19.	30वीं बैठक, 2019	15	09	04	04	01
20	31वीं बैठक, 2019	14	11	07	04	00
21	32वीं बैठक, 2019	14	09	07	01	01
22	33वीं बैठक, 2019	15	14	10	02	02

क्र.सं.	1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की गई बैठकें	प्रस्तुत किए गए मामलों की संख्या	निपटाई गई अपीलें	वापस की गई अपीलें	पुष्टि की गई अपीलें	स्वीकार न की गई
23	34वीं बैठक, 2019	15	10	08	01	01
24	35वीं बैठक, 2019	15	12	07	03	02
25	36वीं बैठक, 2019	15	10	03	05	02
26	37वीं बैठक, 2019	15	09	06	02	01
27	38वीं बैठक, 2019	19	15	08	07	00
28	पहली बैठक, 2020	16	14	11	03	00
29	दूसरी बैठक, 2020	16	14	09	02	03
30	तीसरी बैठक 2020	16	13	07	02	04
31	चौथी बैठक 2020	17	12	05	05	02
32	पांचवीं बैठक 2020	15	08	06	02	00
33	छठी बैठक 2020	14	09	04	02	03
34	सातवीं बैठक 2020	14	12	09	01	02
35	आठवीं बैठक 2020	14	.	.	.	.
36	नौवीं बैठक 2020	14	.	.	.	.
	कुल 36 बैठकें	**628**	**467**	**222**	**182**	**63**

'27 और 28 फरवरी 2020 को आयोजित आठवीं और नौवीं बैठकों के कार्यवृत्त को राष्ट्रव्यापी करोना–19 लॉकडाउन के कारण अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

(ग) निरीक्षण अनुभाग

राअशिप अधिनियम, 1993 की धारा 13 में प्रावधान किया गया है कि मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों का इस प्रयोजन से निरीक्षण किया जाए कि ये संस्थान अधिनियम और नियमों तथा उनके अन्तर्गत निर्धारित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहे हैं अथवा नहीं। नियमानुसार परिषद किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान का निरीक्षण करने के बाद संबंधित संस्थान को निरीक्षण के परिणामों से संबंधित अपने अभिमतों से अवगत कराती है और राय जान लेने के बाद संबंधित संस्थान द्वारा क्या कार्रवाई अपेक्षित है, इसकी संस्तुति की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, राअशिप द्वारा, राअशिप अधिनियम 1993 के खंड 13 के अधीन, कोई निरीक्षण नहीं किया जा सका।

(घ) आईटी एवं ई- शासन (ईडीपी) अनुभाग

आईटी तथा ई–शासन प्रणाली ने निम्न अवधि के दौरान अनेक क्रियाकलाप हाथ में लिए हैं। अधिकांश क्रियाकलाप विभिन्न चरणों में हैं और उनमें से कुछ पूरे कर लिए गए हैं कुछेक विचाराधीन हैं और वे निकट भविष्य में पूरे हो जाएंगे। इन क्रियाकलापों का वर्णन नीचे किया गया है :

(i) नया और गतिशील वेब पोर्टल तैयार करना

राअशिप का गतिशील वेब पोर्टल वैब विषयक मुद्दों की सभी अपेक्षाएं पूरी करते हुए काम कर रहा है। क्योंकि राअशिप के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारका स्थित एक स्थान पर स्थानांतरित किए जा चुके हैं (पूर्वी क्षेत्रीय समिति को छोड़कर) इसलिए राअशिप मुख्यालय और क्षेत्रीय समितियों का वेबसाइट एक बना दिया गया है।

(ii) एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)

चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए आनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित करने के वास्ते तैयार किया गया। इस माडल ने आईटीईपी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्राप्ति और उन पर कार्रवाई सुविधापूर्ण बना दी है ताकि विनियामक तंत्र में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता बनी रहे।

(iii) भ्रमणशील दल माड्यूलः

यह अनुभाग भ्रमणशील दल के सदस्यों के उपलब्ध समूह में से यादृच्छिक चयन द्वारा भ्रमणशील दल के सदस्यों के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों के निरीक्षणों के वास्ते नया पोर्टल तैयार करने में प्रवृत्त है। इस माड्यूल का प्रयोग अध्यापक शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण करने के वास्ते किया जाएगा ताकि निरीक्षण का काम एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और निरीक्षण कार्य के वस्तुनिष्ठ विभाजन के उद्देश्य से वीटी के दोहराव से बचने के लिए एक व्यवस्थित निरीक्षण पद्धति उपलब्ध रहे।

(iv) ऑनलाइन अपील माडल

मान्यता वापिस लिए जाने या मना किए जाने की स्थिति में असंतुष्ट संस्थानों द्वारा राअशिप अधिनियम खंड 18 के अधीन अपील किए जाने के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है जिसके माध्यम से मौजूदा माड्यूल में कुछके बदलाव लाए गए हैं ताकि आनलाइन अपील की प्रस्तुति के लिए अपेक्षित भुगतान के ब्यौरों के सन्दर्भ में अनुबन्ध और स्पष्टीकरण तथा अपील दायर करने के लिए तर्काधार अपलोड करने के वास्ते समुचित गुंजाइश बनी रहे।

v) छात्र अध्यापक पंजीकरण

छात्र अध्यापक पंजीकरण पोर्टल की बात सोची गई है ताकि राअशिप द्वारा मान्यताप्रदत्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों से पास होने वाले/में अध्ययनरत छात्र अध्यापकों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में उनके प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/उपाधि की प्रामाणिकता की जांच की जा सके। छात्र को नाममात्र के शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन

करना होगा जिसके फलस्वरूप इस संबंध में एक प्रमाण–पत्र उपलब्ध हो जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य रोजगार के लिए प्रयासशील ऐसे छात्रों को सुविधा प्रदान करना है जिनसे उनके द्वारा पूरे किए गए राअशिप द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों की वैधता दर्शाने की अपेक्षा की जाती है।

(ड.) स्थापना अनुभाग

(i) **स्वच्छता पखवाड़ा:-** सितम्बर, 2019 के पहले पखवाड़े के दौरान राअशिप अपने परिसर में स्वच्छता पखवाड़े का सफल आयोजन किया, जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया तथा इस अवसर पर काफी मात्रा में अवांछित दस्तावेजों और वस्तुओं को हटाया गया।

(ii) **कार्मिकों की अधिवार्शिकी :** राअशिप में श्री प्रेम सिंह, एमटीएस तथा डा. पी.के.यादव, अधिवार्षिकी पर अपने पदों पर सफलता पूर्वक अपनी सेवा पूरी कर लेने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं।

(च) विनियम अनुभाग

(i) चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम –आईटीईपी (पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक विज्ञान और कलाएं) से सम्बन्धित राअशिप संशोधित विनियम 2019 जो दिनांक 02.04.2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए परिशिष्ट 16 और 17 के रूप में उपलब्ध हैं। यह संशोधन राअशिप की दिनांक 20.11.2018 की अधिसूचना संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के बाद अधिसूचित किया गया था।

(ii) स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले अध्यापकों की न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में 13.11.2019 के राजपत्र में अधिसूचित राअशिप संशोधन विनियम 2019। यह अधिसूचना 2017 की सिविल अपील संख्या 9732 के संबंध में नीरजकुमार राय तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन के रूप में जारी की गई थी।

(iii) 27.01.2020 को अधिसूचित राअशिप (क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र) विनियम। यह अधिसूचना भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जारी की गई थी जिसके फलस्वरूप जम्मू तथा काश्मीर का संघशासित क्षेत्र और लद्दाख उत्तरी क्षेत्रीय समिति, एनआरसी, राअशिप के क्षेत्राधिकार के अधीन ला दिए गए हैं, राजस्थान राज्य को उक्षेस से बदलकर पक्षेस के अधीन ला दिया गया है।

(छ) सतर्कता अनुभाग

राअशिप मुख्यालय, नई दिल्ली तथा इसके सभी क्षेत्रीय कार्यलयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें **'भ्रष्टाचार हटाओ- नए भारत का निर्माण करो'** विषय पर विचार–मंथन किया

गया। राअशिप मुख्यालय में 3 नवंबर, 2019 को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया जिसमें सभी नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा दिहाड़ी कामगारों ने भाग लिया।

(ज) **समन्वय अनुभाग**

(i) **राअशिप परिषद- साधारण सभा का पुनर्गठन** मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 04.03. 2020 की अधिसूचना संख्या 876 के माध्यम से राअशिप की साधारण सभा का पुनर्गठन किया गया।

(ii) **राअशिप की साधारण सभा की ४६वीं बैठक** राअशिप की साधारण सभा की 49वीं बैठक 25 मार्च 2020 को होनी निश्चित हुई थी लेकिन कोविड 19 की महामारी फैल जाने और 'लाकडाउन' घोषित किए जाने के कारण वस्तुतः आयोजित नहीं की जा सकी। तथापि एक परिपत्र के जरिए कुछ ऐसी चुनिंदा मदों को लेकर साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई थी जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान विचार किया जाना ज़रूरी था। साधारण सभा के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्हीं के आधार पर कार्यवृत्त तैयार किया गया है और राअशिप की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अध्याय 3

राअशिप द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की क्षेत्र-वार राज्यवार स्थिति

1. परिचय

जैसा कि अध्याय–1 में स्पष्ट किया गया है कि राअशिप अधिनियम 1993 में व्यवस्था की गयी थी कि अध्यापक शिक्षा संबंधी किसी कार्यक्रम के प्रवर्तन के प्रयोजन से अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए चार क्षेत्रीय समितियों की स्थापना की गयी थी। आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच तथा आवेदक की उपयुक्तता और तत्परता के आधार पर क्षेत्रीय समिति प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए मान्यता देने अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेती है। वर्ष 2019–20 के दौरान मान्यताप्राप्त अध्यायक शिक्षा कार्यक्रमों तथा मान्यता समाप्त किए जाने से संबंधित क्षेत्रवार स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	समिति	पाठ्यक्रम के दौरान मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम 2019-20	ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी मान्यता 2019-20 में समाप्त की गई
1.	पूर्वी क्षेत्र	34	130
2.	पश्चिमी क्षेत्र	40	214
3.	उत्तरी क्षेत्र	11	16
4.	दक्षिणी क्षेत्र	7	315
कुल		**92**	**675**

अध्यापक शिक्षा की अखिल भारतीय स्थिति

संस्थानों की कुल संख्या-16754	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	16917	16754

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	205	2	3	204	11480	11430
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	11398	16	55	11359	722331	701740
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	6	0	0	6	5200	5200
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	18	0	0	18	1000	1000
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	10	0	0	10	550	550
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	103	3	2	104	5900	5950
7	बी.एड. (माध्यमिक)	10085	30	481	9634	998085	953660
8	बी.एड. (ओडीएल)	44	0	1	43	25700	24700
9	बी.एड. (अंशकालीन)	11	0	0	11	800	800
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	29	1	0	30	1500	1550
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	723	34	33	724	63620	63770
12	एम.एड.	1347	3	58	1292	66492	63745
13	डी.पी.एड.	172	0	3	169	9795	9645
14	बी.पी.एड.	664	2	33	633	50460	47710
15	एम.पी.एड.	177	0	3	174	7260	7115
16	अन्य	212	1	3	210	12083	11983
	कुल	**25204**	**92**	**675**	**24621**	**1982256**	**1910548**

अध्यापक शिक्षा की क्षेत्र/राज्य-वार स्थिति

पूर्वी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या - 1720	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1799	1720

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	22	0	0	22	1150	1150
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1242	13	0	1255	98275	99235
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	2	0	0	2	1000	1000
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	1	0	0	1	50	50
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1	1	0	2	100	150
7	बी.एड. (माध्यमिक)	1306	19	113	1212	124500	114550
8	बी.एड. (ओडीएल)	7	0	0	7	2800	2800
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	6	0	0	6	300	300
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	31	0	0	31	3100	3100
12	एम.एड.	92	1	9	84	4600	4200
13	डी.पी.एड.	6	0	0	6	380	380
14	बी.पी.एड.	39	0	8	31	4000	3200
15	एम.पी.एड.	13	0	0	13	560	560
16	अन्य	2	0	0	2	48	48
	कुल	2770	34	130	2674	240863	230723

अध्यापक शिक्षा की/राज्य-वार स्थिति

राज्यः अरूणाचल प्रदश

संस्थानों की कुल संख्या - 20	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	21	20

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	8	0	0	8	445	445
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	14	0	2	12	1350	1150
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	4	0	0	4	400	400
12	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**29**	**0**	**2**	**27**	**2395**	**2195**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः असम

संस्थानों की कुल संख्या - 101	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	116	101

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	63	0	0	63	4100	4100
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	78	1	17	62	6450	5000
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	2	0	0	2	100	100
12	एम.एमड.	7	0	1	6	350	300
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	3	0	0	3	300	300
15	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	154	1	18	137	11340	9840

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्य: बिहार

संस्थानों की कुल संख्या- 415	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	425	415

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	311	6	0	317	30600	31050
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	2	0	0	2	1000	1000
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1	0	0	1	100	100
7	बी.एड. (माध्यमिक)	345	6	20	331	37350	35750
8	बी.एड. (ओडीएल)	3	0	0	3	1500	1500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	5	0	0	5	500	500
12	एम.एड.	26	0	1	25	1300	1250
13	डी.पी.एड.	2	0	0	2	100	100
14	बी.पी.एड.	3	0	0	3	300	300
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**699**	**12**	**21**	**690**	**72800**	**71600**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः झारखंड

संस्थानों की कुल संख्या - 160	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	165	160

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	1	0	0	1	100	100
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	101	1	0	102	8010	8060
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	136	2	8	130	13600	12950
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	3	0	0	3	300	300
12	एम.एड.	14	0	1	13	700	650
13	डी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
14	बी.पी.एड.	4	0	0	4	400	400
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**261**	**3**	**9**	**255**	**23260**	**22610**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः मणिपुर

संस्थानों की कुल संख्या - 24	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	25	24

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	11	0	0	11	600	600
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	15	0	2	13	1500	1250
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	2	0	1	1	100	50
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**29**	**0**	**3**	**26**	**2300**	**2000**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः मेघालय

संस्थानों की कुल संख्या - 15	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	18	15

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	11	0	0	11	690	690
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	6	0	3	3	600	300
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	18	0	3	15	1340	1040

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्य: मिजोरम

संस्थानों की कुल संख्या - 11	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	11	11

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	9	0	0	9	630	630
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	5	0	1	4	400	350
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	16	0	1	15	1130	1080

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः नागालैंड

संस्थानों की कुल संख्या - 13	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	14	13

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	4	0	0	4	210	210
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	9	0	1	8	850	600
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	2	0	1	1	100	50
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	15	0	2	13	1160	860

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः सिक्किम

संस्थानों की कुल संख्या - 8	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	8	8

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	4	0	0	4	190	200
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	3	0	0	3	350	300
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**9**	**0**	**0**	**9**	**640**	**600**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः उड़ीसा

संस्थानों की कुल संख्या - 105	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	118	105

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	9	0	0	9	450	450
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	68	0	0	68	6540	6540
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	1	0	0	1	50	50
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	40	0	16	24	3400	1450
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	100	100
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	4	0	0	4	200	200
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	7	0	0	7	850	850
12	एम.एड.	8	0	2	6	400	300
13	डी.पी.एड.	2	0	0	2	130	130
14	बी.पी.एड.	5	0	2	3	600	400
15	एम.पी.एड.	2	0	0	2	120	120
16	अन्य	2	0	0	2	48	48
	कुल	**149**	**0**	**20**	**129**	**12888**	**10638**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः त्रिपुरा

संस्थानों की कुल संख्या - 13	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	14	13

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	7	0	0	7	730	730
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	8	0	1	7	700	650
8	बी.एड. (ओडीएल)	2	0	0	2	700	700
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
12	एम.एड.	2	0	1	1	100	50
13	डी.पी.एड.	1	0	0	1	50	50
14	बी.पी.एड.	2	0	0	2	200	200
15	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**24**	**0**	**2**	**22**	**2570**	**2470**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः पश्चिम बंगाल

संस्थानों की कुल संख्या - 835	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	864	835

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	12	0	0	12	600	600
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	645	6	0	651	45530	45980
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	1	0	1	0	50
7	बी.एड. (माध्यमिक)	647	10	42	615	57950	54800
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	9	0	0	9	900	900
12	एम.एड.	24	1	1	24	1200	1200
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	20	0	6	14	2000	1400
15	एम.पी.एड.	9	0	0	9	360	360
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1367**	**18**	**49**	**1336**	**109040**	**105790**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

पश्चिमी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या -	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	*4509**	*4470*

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	40	0	3	37	2250	2100
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2316	3	18	2301	135800	135150
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	2	0	0	2	2900	2900
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	18	0	0	18	1000	1000
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	9	0	0	9	500	500
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	9	2	1	10	650	700
7	बी.एड. (माध्यमिक)	2559	7	146	2420	252570	238570
8	बी.एड. (ओडीएल)	5	0	0	5	4000	4000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	2	0	0	2	200	200
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	9	1	0	10	450	500
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	505	24	2	527	47650	50050
12	एम.एड.	251	0	30	221	12700	11200
13	डी.पी.एड.	18	0	0	18	1210	1210
14	बी.पी.एड.	164	2	13	153	15500	14400
15	एम.पी.एड.	52	0	1	51	2650	2610
16	अन्य	2	1	0	3	350	450
	कुल	**5961**	**40**	**214**	**5787**	**480380**	**465540**

• टिप्पणी : १५० अध्यापक िक्षा संस्थान बढ़ाए गए हैं क्योंकि उन्हें उस समय नहीं जोड़ा गया था

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः गोवा

संस्थानों की कुल संख्या - 10	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	10	10

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	6	0	0	6	295	295
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	4	0	0	4	400	400
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	2	0	0	2	100	100
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	1	0	0	1	100	100
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	14	0	0	14	945	945

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः महाराष्ट्र

संस्थानों की कुल संख्या - 1341	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1363	1341

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	10	0	0	10	460	460
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1370	0	5	1365	68400	67900
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	550	1	51	500	47500	42500
8	बी.एड. (ओडीएल)	2	0	0	2	3000	3000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	5	0	0	5	250	250
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	4	1	0	5	200	250
12	एम.एड.	138	0	16	122	5765	4965
13	डी.पी.एड.	3	0	0	3	150	150
14	बी.पी.एड.	74	0	7	67	6300	5600
15	एम.पी.एड.	31	0	0	31	775	725
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**2187**	**2**	**79**	**2110**	**132800**	**125800**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्य: छत्तीसगढ़

संस्थानों की कुल संख्या - 218	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	220	218

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	99	0	0	99	6750	6750
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	1	0	0	1	2400	2400
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	145	1	7	139	14750	14050
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	3	0	0	3	200	200
12	एम.एड.	27	0	1	26	1350	1300
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	13	0	0	13	1300	1300
15	एम.पी.एड.	3	0	0	3	80	80
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**292**	**1**	**8**	285	**27330**	**26580**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्य: मध्य प्रदेश

संस्थानों की कुल संख्या - 1068	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1090	1068

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	18	0	2	16	1040	940
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	876	0	13	863	48740	47440
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	4	1	1	4	200	200
7	बी.एड. (माध्यमिक)	683	0	72	611	60500	53300
8	बी.एड. (ओडीएल)	2	0	0	2	1000	1000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	6	0	0	6	500	500
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	7	0	0	7	350	350
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	108	1	2	107	7630	7580
12	एम.एड.	89	0	13	76	4275	3625
13	डी.पी.एड.	2	0	0	2	120	120
14	बी.पी.एड.	26	0	6	20	2600	2000
15	एम.पी.एड.	12	0	1	11	355	315
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1834**	**2**	**110**	1726	**127810**	**117870**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः गुजरात

संस्थानों की कुल संख्या - 408	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	415	408

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	31	0	1	30	1550	1500
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	248	0	0	248	12400	12400
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	18	0	0	18	1000	1000
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	9	0	0	9	500	500
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	261	0	15	246	26100	24600
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	500	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	1	0	1	0	50
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	8	0	0	8	600	600
12	एम.एड.	78	0	0	78	3900	3900
13	डी.पी.एड.	17	0	0	17	1290	1290
14	बी.पी.एड.	18	0	0	18	1500	1500
15	एम.पी.एड.	5	0	0	5	250	250
16	अन्य	0	1	0	1	0	50
	कुल	693	2	16	679	49590	47640

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः दादर तथा नागर हवेली

संस्थानों की कुल संख्या - 1	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1	1

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	1	0	0	1	100	100
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1**	**0**	**0**	**1**	**100**	**100**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः दमन तथा दीव

संस्थानों की कुल संख्या - 3	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	3	3

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2	0	0	2	100	100
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	1	0	0	1	100	100
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	3	0	0	3	200	200

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः राजस्थान

संस्थानों की कुल संख्या - 1421	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1406	1421

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	20	0	0	20	1100	1100
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	402	3	0	405	27000	27250
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	6	1	0	7	500	550
7	बी.एड. (माध्यमिक)	964	5	1	968	107820	108120
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	1	0	0	1	50	50
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	3	0	0	3	150	150
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	402	22	0	424	38950	40650
12	एम.एड.	60	0	0	60	3100	3100
13	डी.पी.एड.	13	0	0	13	960	960
14	बी.पी.एड.	31	2	0	33	1950	2150
15	एम.पी.एड.	11	0	0	11	550	550
16	अन्य	2	0	0	2	350	350
	कुल	**1916**	**33**	**1**	**1948**	**182980**	**185480**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

उत्तरी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या - 6312	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	6319	6312

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	100	0	0	100	5930	5930
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	3507	0	4	3503	236000	235700
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	2	0	0	2	1300	1300
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	88	0	0	88	4800	4800
7	बी.एड. (माध्यमिक)	3709	3	12	3700	388500	387250
8	बी.एड. (ओडीएल)	9	0	0	9	6400	6400
9	बी.एड. (अंशकालीन)	3	0	0	3	150	150
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	7	0	0	7	400	400
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	93	8	0	101	7300	7950
12	एम.एड.	462	0	0	462	23760	23760
13	डी.पी.एड.	46	0	0	46	2355	2355
14	बी.पी.एड.	295	0	0	295	17710	17710
15	एम.पी.एड.	57	0	0	57	2625	2625
16	अन्य	7	0	0	7	1650	1650
	कुल	**8385**	**11**	**16**	**8380**	**698880**	**697980**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः चण्डीगढ़

संस्थानों की कुल संख्या - 15	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	15	15

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	2	0	0	2	150	150
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2	0	0	2	150	150
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	5	0	0	5	700	700
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	800	800
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	2	0	0	2	100	100
12	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	4	0	0	4	200	200
15	एम.पी.एड.	2	0	0	2	70	70
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**19**	**0**	**0**	**19**	**2220**	**2220**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः दिल्ली

संस्थानों की कुल संख्या - 155	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	155	155

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	47	0	0	47	2580	2580
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	51	0	0	51	3550	3550
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	1	0	0	1	1200	1200
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	9	0	0	9	450	450
7	बी.एड. (माध्यमिक)	64	0	0	64	5960	5960
8	बी.एड. (ओडीएल)	2	0	0	2	3000	3000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	13	0	0	13	750	750
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	2	0	0	2	150	150
15	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16	अन्य	2	0	0	2	300	300
	कुल	192	0	0	192	17980	17980

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः हरियाणा

संस्थानों की कुल संख्या - 756	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	756	756

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	4	0	0	4	200	200
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	379	0	0	379	23250	23250
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	5	0	0	5	250	250
7	बी.एड. (माध्यमिक)	549	0	1	548	65850	65750
8	बी.एड. (ओडीएल)	2	0	0	2	750	750
9	बी.एड. (अंशकालीन)	2	0	0	2	100	100
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	2	0	0	2	100	100
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	14	6	0	20	1200	1650
12	एम.एड.	98	0	0	98	5050	5050
13	डी.पी.एड.	26	0	0	26	1300	1300
14	बी.पी.एड.	28	0	0	28	1950	1950
15	एम.पी.एड.	4	0	0	4	160	160
16	अन्य	1	0	0	1	250	250
	कुल	1114	6	1	1119	100410	100760

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः हिमाचल प्रदेश

संस्थानों की कुल संख्या - 117	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	116	117

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	42	0	0	42	3250	3250
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	87	0	0	87	9300	9300
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	450	450
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	1	0	1	0	100
12	एम.एड.	13	0	0	13	600	600
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	6	0	0	6	300	300
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	1	0	0	1	250	250
	कुल	**150**	**1**	**0**	**151**	**14150**	**14250**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः पंजाब

संस्थानों की कुल संख्या - 383	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	383	383

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	6	0	0	6	300	300
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	144	0	0	144	8300	8300
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	273	0	0	273	34450	34450
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	400	400
9	बी.एड. (अंशकालीन)	1	0	0	1	50	50
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	3	0	0	3	150	150
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	32	0	0	32	2350	2350
12	एम.एड.	76	0	0	76	4085	4085
13	डी.पी.एड.	12	0	0	12	650	650
14	बी.पी.एड.	32	0	0	32	2100	2100
15	एम.पी.एड.	17	0	0	17	860	860
16	अन्य	1	0	0	1	500	500
	कुल	**598**	**0**	**0**	**598**	**54195**	**54195**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः उत्तर प्रदेश

संस्थानों की कुल संख्या - 4720	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	4728	4720

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	37	0	0	37	2450	2450
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2880	0	4	2876	197000	196700
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	1	0	0	1	100	100
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	73	0	0	73	4050	4050
7	बी.एड. (माध्यमिक)	2584	3	11	2576	257090	255940
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	2	0	0	2	150	150
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	43	1	0	44	3450	3550
12	एम.एड.	246	0	0	246	12475	12475
13	डी.पी.एड.	8	0	0	8	405	405
14	बी.पी.एड.	216	0	0	216	12660	12660
15	एम.पी.एड.	31	0	0	31	1395	1395
16	अन्य	1	0	0	1	100	100
	कुल	**6123**	**4**	**15**	**6112**	**491825**	**490475**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः उत्तराखंड

संस्थानों की कुल संख्या - 166	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	166	166

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	4	0	0	4	250	250
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	9	0	0	9	500	500
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1	0	0	1	50	50
7	बी.एड. (माध्यमिक)	147	0	0	147	15150	15150
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	2	0	0	2	200	200
12	एम.एड.	15	0	0	15	750	750
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	7	0	0	7	350	350
15	एम.पी.एड.	2	0	0	2	100	100
16	अन्य	1	0	0	1	250	250
	कुल	189	0	0	189	18100	18100

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

दक्षिणी क्षेत्रीय समिति

संस्थानों की कुल संख्या - 4252	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	4290	4252

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	4	2	0	6	250	350
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	3646	0	33	3613	224371	204670
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	4	0	1	3	300	250
7	बी.एड. (माध्यमिक)	2461	1	210	2252	227815	208690
8	बी.एड. (ओडीएल)	22	0	1	21	11000	10500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	1	0	0	1	100	100
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	74	2	31	45	5640	3440
12	एम.एड.	399	2	19	382	19642	18795
13	डी.पी.एड.	85	0	3	82	4540	4390
14	बी.पी.एड.	167	0	12	155	15000	14150
15	एम.पी.एड.	45	0	2	43	2065	2010
16	अन्य	201	0	3	198	10035	9885
	कुल	7109	7	315	6801	520758	477230

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः आंध्र प्रदेश

संस्थानों की कुल संख्या - 1028	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1043	1028

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	1	0	1	0	50
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1146	0	5	1141	69550	69200
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2	0	0	2	150	150
7	बी.एड. (माध्यमिक)	593	0	56	537	54000	49250
8	बी.एड. (ओडीएल)	4	0	0	4	2000	2000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	31	0	31	0	2400	0
12	एम.एड.	88	0	0	88	4350	4350
13	डी.पी.एड.	25	0	2	23	1510	1410
14	बी.पी.एड.	65	0	1	64	6450	6350
15	एम.पी.एड.	16	0	1	15	760	730
16	अन्य	73	0	0	73	3280	3280
	कुल	**2043**	**1**	**96**	**1948**	**144450**	**136770**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

संस्थानों की कुल संख्या - 1	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1	1

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	2	0	0	2	100	100
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	50	50
12	एम.एड.	1	0	0	1	50	50
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	**4**	**0**	**0**	**4**	**200**	**200**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्य: कर्नाटक

संस्थानों की कुल संख्या - 1098	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1102	1098

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	1	0	0	1	50	50
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	912	0	5	907	47182	46930
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	445	0	41	404	39070	35570
8	बी.एड. (ओडीएल)	1	0	0	1	500	500
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	7	0	0	7	390	390
12	एम.एड.	45	1	5	41	2115	1915
13	डी.पी.एड.	44	0	1	43	2220	2170
14	बी.पी.एड.	39	0	4	35	3800	3500
15	एम.पी.एड.	10	0	0	10	410	410
16	अन्य	27	0	0	27	1420	1420
	कुल	**1531**	**1**	**56**	**1476**	**97157**	**92855**

अध्यापक शिक्षा की क्षेत्र राज्य-वार स्थिति

राज्यः केरल

संस्थानों की कुल संख्या - 373	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	373	373

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	215	0	0	215	30617	12900*
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	201	0	7	194	14690	14040
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	1	0	1	0	100
12	एम.एड.	47	0	1	46	2287	2225
13	डी.पी.एड.	1	0	0	1	50	50
14	बी.पी.एड.	3	0	0	3	300	300
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	24	0	0	24	1235	1235
	कुल	**491**	**1**	**8**	**484**	**49179**	**30850**

• दाखिल किए गए 17110, आंकडों को संशोधित करने के कारण घट गए क्योंकि ये आंकडें पिछले वर्ष में दोहरी प्रविष्टयों के रूप मे थे।

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः लक्षद्वीप

संस्थानों की कुल संख्या - 2	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	2	2

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1	0	0	1	50	50
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	1	0	0	1	50	50
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
12	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
13	डी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	2	0	0	2	100	100

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः पुडुचेरी

संस्थानों की कुल संख्या - 60	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	61	60

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	45	0	0	45	2960	2960
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	32	0	4	28	2970	2570
8	बी.एड. (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	1	0	0	1	100	100
12	एम.एड.	8	0	2	6	370	270
13	डी.पी.एड.	1	0	0	1	50	50
14	बी.पी.एड.	0	0	0	0	0	0
15	एम.पी.एड.	1	0	0	1	40	40
16	अन्य	0	0	0	0	0	0
	कुल	88	0	6	82	6490	5990

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः तमिलनाडु

संस्थानों की कुल संख्या - 1222	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	1230	1222

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	0	0	0	0	0	0
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	1011	0	12	999	57152	56430
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	0	0	0	0	0	0
7	बी.एड. (माध्यमिक)	860	1	74	787	84605	77480
8	बी.एड. (ओडीएल)	11	0	1	10	5500	5000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	1	0	0	1	100	100
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड. / बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	30	1	0	31	2450	2550
12	एम.एड.	183	0	11	172	9120	8585
13	डी.पी.एड.	9	0	0	9	450	450
14	बी.पी.एड.	35	0	6	29	2050	1700
15	एम.पी.एड.	14	0	1	13	665	640
16	अन्य	4	0	1	3	220	170
	कुल	**2158**	**2**	**106**	**2054**	**162312**	**153105**

अध्यापक शिक्षा की राज्य-वार स्थिति

राज्यः तेलंगाना

संस्थानों की कुल संख्या - 468	31.03.2019 को	31.03.2020 को
	479	468

क्र. सं.	अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का नाम	31-3-2019 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की गई उनकी संख्या	2019-20 के दौरान जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता वापस ली गई उनकी संख्या	31-3-2020 को मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	31 मार्च, 2019 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या	31 मार्च, 2020 को दाखिल किए जाने वाले कुल छात्रें की अनुमोदित संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीपीएसई (पूर्व–प्राथमिक)	3	1	0	4	200	250
2	डी.एल.एड. (प्रारंभिक)	316	0	11	305	16800	16200
3	डी.एल.एड. (प्रारंभिक) (ओडीएल)	0	0	0	0	0	0
4	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन)	0	0	0	0	0	0
5	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य)	0	0	0	0	0	0
6	बी.एल.एड. (प्रारंभिक)	2	0	1	1	150	100
7	बी.एड. (माध्यमिक)	327	0	28	299	32330	29630
8	बी.एड. (ओडीएल)	6	0	0	6	3000	3000
9	बी.एड. (अंशकालीन)	0	0	0	0	0	0
10	बी.एड.एम.एड. (समेकित)	0	0	0	0	0	0
11	बी.ए.बी.एड./ बी. एससी. बी.एड. (समेकित)	4	0	0	4	250	250
12	एम.एड.	27	1	0	28	1350	1400
13	डी.पी.एड.	5	0	0	5	260	260
14	बी.पी.एड.	25	0	1	24	2400	2300
15	एम.पी.एड.	4	0	0	4	190	190
16	अन्य	73	0	2	71	3880	3780
	कुल	**792**	**2**	**43**	**751**	**60810**	**57360**

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
Welcomes Delegates
International Conference on
JOURNEY OF TEACHER EDUCATION:
LOCAL TO GLOBAL
17th-18th August 2019
Manekshaw Centre, New Delhi, India
25
National Council for Teacher Education

SAMADESH

Vikramshila
Lend A Hand India
Language and Learning Foundation
SHISHU SAROTHI
Amar Jyoti Charitable Trust
Established 1942
MILLION SPARKS FOUNDATION
SHIV NADAR SCHOOL
Samavesh
NPSC
Aspire To Excel
TATA
I am a teacher

JOURNEY

Ms. Rina Ray
Secretary
Dept. of School
Education & Literacy
MHRD

National Council for T
International
o
JOURNEY OF TEAC
LOCAL TO
17th-18th Au
Maneksha
New Del

PROF. CRAIG KISSOCK
Prof. J

AIG KISSOCK
PROF. JOANNA MADALINSKA

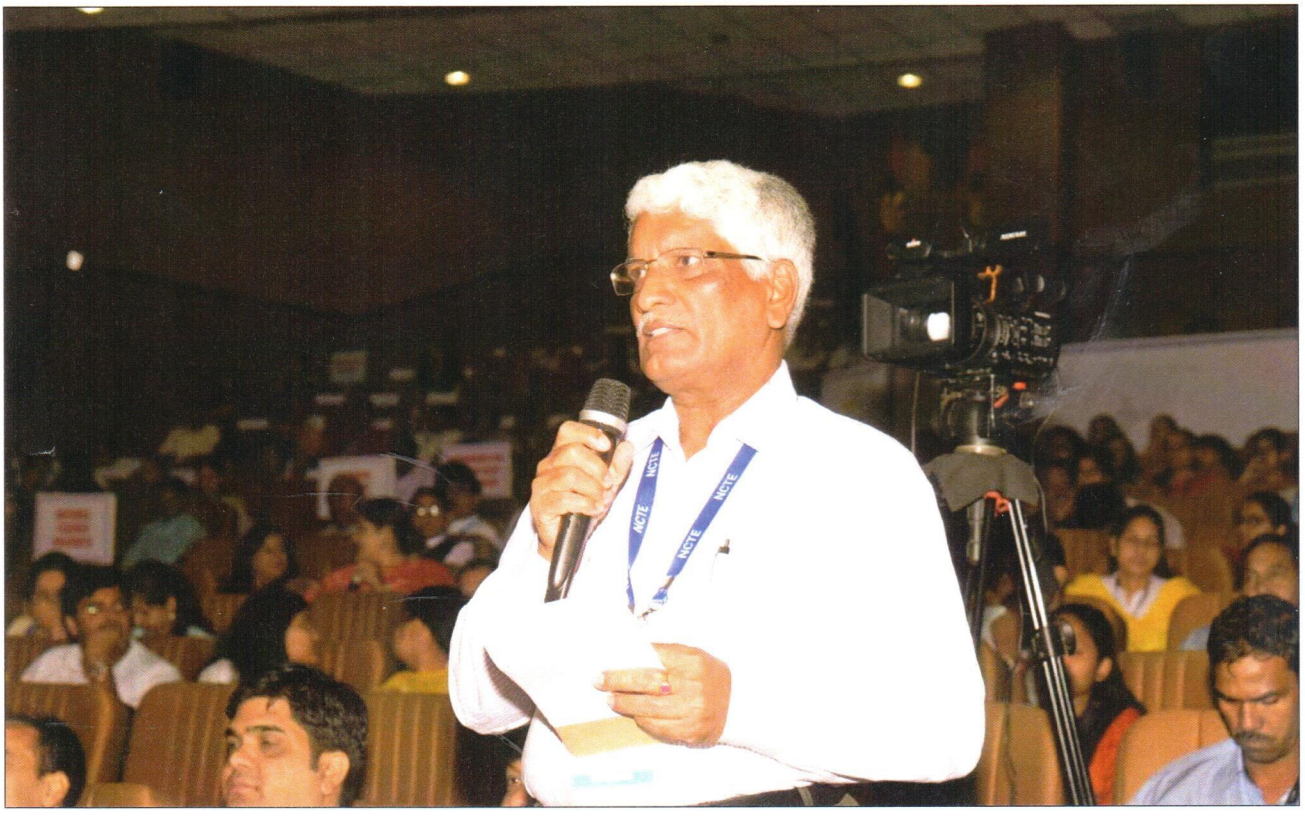
NCTE
NCTE
NCTE